न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 79/2014 दायर दिनांक– 09.06.2014

केशर सिंह पुत्र अखे सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
–आवेदक

–:: **बनाम** ::–

1. रेवत सिंह पुत्र नन्दू सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. सहायक अभियंता (ग्रामिण) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदक नं. 1 :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 18.01.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 690 चाह मय विधुत पम्पिंग सैट अवस्थित है जिसका रकबा 0.04 हैक्टर है जो आवेदक के कब्जे काश्त में है आवेदक उक्त चाह में विधुत पम्पिंग सैट चलाकर अपनी भूमि खसरा नम्बर 689 की सिंचाई करता आ रहा है।

खसरा नम्बर 690 आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 689 का ही भाग है पुराना चाह जागीरी के समय से ही बना हुआ था जिसकी खुदाई कर इसमें से पीने के पानी लायक किया, ग्राम गोठड़ा के विधुतीकरण के समय आवेदक व आवेदक का भाई नन्दू सिंह जो अनावेदग नम्बर 1 का पिता शामिल में काश्त व शामिल में निवास करते थे तक लघु काश्तकार के लिए नन्दू सि के नाम से पत्रावली जमा रकाने पर विधुत कनेक्शन नन्दू सिंह के नाम विधुत विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, जिसका विधुत खाता संख्या 1769–87 है। बिजली के उपभोग उपयोग का भुगतान आवेदक द्वारा ही विधुत विभाग को आद किया जाता है परन्तु अनावेदक नम्बर 1 के पिता के नाम से बिल आ रहा है। उक्त चाह को काफी दफा आवेदक द्वारा ही अपने खर्चे से कई मर्तबा पानी किया गया है। आवेदक व नन्दू सिंह ने आपस में भूमि आवंटन होने पर नन्दू सिंह के गांव की अन्य जोत हिस्से मे आ गई और आवेदक के उक्त चाह व भूमि खसरा नम्बर 689 हिस्से में आ गई जिसमें आवेदक अपने परिवार सहित आबाद है तथा जीविकोपार्जन उक्त सिचाई के साधन से करता आ रहा है अनावेदक का आवेदक के चाह व विधुत कनेक्शन में गलत नाम चला आ रहा है जबकि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 का कभी भी आवेदक के अधिकारों से इन्कार नही किया है न ही आवेदक के चाह व विधुत कनेक्शन में बाधा डाली परन्तु उनके राजस्व रिकार्ड व चाह में दर्ज होने के कारण से उक्त राजस्व रिकार्ड आवेदक के अधिकारों के खिलाफ होने से एबीनिसियों बोईड है उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की वजह से आवेदक को सख्त हकतलफी पैदा होती है हालांकि उक्त गलत रिकार्ड की आड़ मे कभी भी आवेदक के अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है।

अनावेदक नम्बर 1 आवेदक से काफी [illegible] तथा भूमि के बंटवारा बाबत न्यायालय एस.डी.ओं. में वाद कर रखा है इस वजह से बिना [illegible] अधिकार के अनावेदक नम्बर 2 के कार्यालय में आज से 4 – 5 रोज पूर्व अपने नाम से विधुत [illegible] नाजायज फायदा उठाकर विधुत कनेक्शन विच्छेद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र [illegible] अनावेदक नम्बर 1, 2 आवेदक को विधुत कनेक्शन विच्छेद करने की धमकी दी हालांकि अनावदेक नमबर 1 [illegible] गलत बिल में नाम होने के कारण से आवेदक को विधुत कनेक्शन से वंचित करना चाहता है जबकि चाह व विधुत कनेक्शन से इसका कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:29 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

आवेदक को विधुत कनेक्शन से वंचित करना चाहता है जबकि चाह व विधुत कनेक्शन से इसका कोई सम्बन्ध नही है गलत विधुत कनेक्शन नाम होने का फायदा उठाकर आवेदक को विधुत कनेक्शन से वंचित करने पर आमादा है अगत आवेदक विधुत कनेक्शन से वंचित हो जायेगा तो आवेदक को हकतलफी होगी हालाकि अनावेदक को प्रार्थना पत्र करने का कोई हक अधिकार नही है परन्तु अनावेदक अपनी नाजायज हरकतों से बाज नही आने के कारण तथा आवेदक को विधुत कनेक्शन से वंचित करने का प्रार्थना पत्र देने के कारण से आवेदक को अपने अधिकारों की रक्षार्थ विधुत कनेक्शन अनावेदकगण खिलाफ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अनावेदकगण की नियत में फर्क आ गया, आवेदक को उसके वैध अधिकारों से महरूम करने के लिए किसी भी क्षण विधुत कनेक्शन विच्छेद करने पर आमदा है अगर अनावेदकगण को इसमें सफलता मिल गई तो आवेदक का वाद/प्रार्थना पत्र करना ही व्यर्थ हो जायेगा तथा साथ ही व्यर्थ की मुकदमें बाजी मे फंसना होगा जिसका खामियाजा वादी को भुगतना पड़ेगा जिसका आर्थक नुकसान इतना अधिक होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से सम्भव नही होगी तथा मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी पड़ेगी। आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में होने के कारण से प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे व आवेदक के चाह व विधुत कनेक्शन मे न तो किसी प्रकारकी स्वयं बाधा उत्पन्न पहुंचाये तथा न ही किसी अन्य से कराये न ही अवैध रूप से आवेदक का विधुत सम्बन्ध विच्छेद करे तथा न ही अपने अधिनस्थ कर्मचारी से कराये। आवेदक के विधुत कनेक्शन के उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे तथा आवेदक को अपनी भूमि की सिंचाई बिना किसी बाधा के करने देवे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि तादौराने वाद अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आवेदक के ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 690 रकबा 0.04 हैक्टर में स्थित चाह मय विधुत कनेक्शन में न तो किसी प्रकार की स्वयं बाधा उत्पन्न पहुंचाये तथा न ही किसी अन्य से कराये न ही अवैध रूप से आवेदक का विधुत सम्बन्ध विच्छेद करे तथा न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कराये। आवेदक को विधुत कनेक्शन का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे तथा आवेदक को अपनी भूमि की सिंचाई बिना किसी बाधा के करने देवे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया उपस्थित आये। अनावेदक नम्बर 02 की तलबी सम्यक रूप से प्रर्याप्त होने के फलस्वरूप इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदक नम्बर 01 की ओर सके प्रार्थना पत्रों में अंकित कथनों को नकारते हुये जवाब प्रार्थना पत्र किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज उनवान का वाद पेश किया जाना स्वीकार है, जो बेबूनियादी व गलत आधारों पर वाद पेश किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है खसरा नम्बर 690 रकबा 0.04 हैक्टर ग्राम गोठडा से आवेदक का कोई सरोकार नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित तथ्य मनगढ़त बिना रिकार्ड व बिना साक्ष्य के दर्ज किए गए है जो अस्वीकार है। आवेदक व नन्दूसिंह का आपस में भूमि का बंटवारा कभी नही हुआ था। उतरदाता/अनावदेक नम्बर 1 रेवत सिंह ने अपनी हिस्से की ... का बंटवारा हेतु दावा न्यायालय में पेश कर रखा है। आवेदक का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध रिकार्ड ... भी नही रहा है। समस्त तथ्य झूंठे व निराधार दर्ज किए गए है। आवदेक का ... विधुत ... सम्बन्ध में आवेदक का कोई हिस्सा है, ना ही कभी उपयोग–उपभोग किया है। विधुत सम्बन्ध ... कोई राजस्व रिकार्ड नही होता है ना ही विधुत सम्बन्ध में घोषणा करवाने का आवेदक को कोई अधिकार प्राप्त है। कौनसा राजस्व रिकार्ड एबीईसिनियों वॉईड है कुछ भी दर्ज नही किया है। किस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एबीईसिनियों वॉईड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

कुछ दर्ज नही किया। बोगस तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। एस.डी.ओ. न्यायालय में बंटवारा का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से किसी प्रकार की कोई अनबन नही होनी चाहिए। उतरदाता को अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार कानूनन प्राप्त है। अपने नाम विधुत सम्बन्ध अपने उपयोग–उपभोग, हक अधिकारों के विधुत सम्बन्ध के सम्बन्ध में खाताधारक को समस्त अधिकार प्राप्त होते है। विधुत कनेक्शन विच्छेद करवाने से रोकने अथवा नही रोकने की कार्यवाही अजमेर विधुत वितरण निगम के अधिकारियों के समक्ष करनी पड़ती है अथवा सिविल न्यायालय के समक्ष अपने सिविल अधिकारों की घोषणा का प्रार्थना पत्र करना चाहिए। उक्त दावा/प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा बिना कोई आधार के बिना क्षैत्राधिकार के बिना साक्ष्य के पेश किया गया है जो भारी हर्जे सहित खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विधुत सम्बन्ध से आवेदक का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 05 में दर्ज तथ्य निरर्थक है, व झूंठे हैं कौनसे अनावेदक की नियत मे फर्क आया है तथा पहले क्या नियत थी कुछ भी दर्ज नही किया है। आवेदक के कोई वैध अधिकार प्रार्थना पत्र में वर्णित विधुत सम्बन्ध के लिए है ही नही तो नियत में फर्क आने व वैध अधिकारो से महरूम करने का कोई प्रश्न ही नही है। आवेदक जानबुझकर स्वयं मुकदमें बाजी मे फस रहा है तथा उतरदाता को भी मुकदमें बाजी में फंसा रहा है। आवेदक के पक्ष में किसी भी कानून के तहत अथवा किसी भी दस्तावेज या साक्ष्य के तहत प्रथम दृष्टया मामला ही नही है। ना ही उक्त प्रार्थना पेश करने का आवेदक को कोई अधिकार है। प्रार्थना पत्र आवेदक मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा खसरा नम्बर 690 जिमसें पम्पिग सैट बना हुआ वो आवेदक के हक हिस्से में है तथा विधुत कनेक्शन भी आवेदक के हक हिस्से में है। विधुत कनेक्शन नही कटवावे। खसरा नम्बर 689 की सिंचाई हेतु महरूम रखने का निवेदन किया। जवाब में वकील अनावेदक नम्बर 1 ने बहस वकील वादी को गलत ठहराते हुये कथन किया गया कि शामलाती भूमि के विवादों का निस्तारण केवल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु किया। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नही कर विभाजन का दावा लगाते। बिजली संयुक्त कनेक्शन नही है। प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नही तथा ना ही हक अधिकारी का मामला है। आवेदक को दावे में विभाजन करवाना था जबकि आवेदक द्वारा घोषणा का दावा पेश किया है। वकील आवेदक ने जवाब में कथन किया कि दावा घोषणा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का है। विधुत कनेक्शन गलत होने से चाह की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया है। वकील आवेदक ने स्थाई निषेधाज्ञ एवं चाह की घोषणा का पेश कर चाह में विधुत कनेक्शन पर अनावेदक नम्बर 1 के पिता का नाम हजफ किया जावे तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कर्न्फम करने का अर्ज किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– आवेदक [illegible] 690 रकबा 0.04 हैक्टर में बने चाह व विधुत पम्पिंग सैट के द्वारा [illegible] की सिंचाई करने का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा खसरा नम्बर 690 को [illegible]रा नम्बर 689 का ही भाग होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि उक्त चाह पर अनावेदक नम्बर 01 के पिता नंदू सिंह के नाम से विधुत विभाग द्वारा विधुत कनेक्शन जारी किया गया जिसके खाता संख्या 1769–87 है तथा विधुत बिलों का भुगतान आवेदक द्वार ही किया जाना दर्ज किया है तथा प्रार्थना पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर 690 में बने चाह व विधुत कनेक्शन में बाधा नही पहुंचाने,

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

विधुत कनेक्शन सम्बन्ध विच्छेद नही करने तथा विधुत कनेक्शन उपयोग–उपभोग की रिलीफ डिमाण्ड की है। जहां तक अनावेदक नम्बर 1 ने अपने जवाब मे विधुत संबंध से आवेदक का कोई संबंध व सरोकार नही होना तथा विधुत संबंध विच्छेद अथवा नही करने का दायित्व अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों का अधिकार है। तथा विधुत संबंध के संबंध मे घोषणा का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय का होना दर्ज किया है। प्रथम दृष्टया मामले के लिए आवेदक को सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना है कि क्या खसरा नम्बर 690 आवेदक के अधिकार अथवा खातेदारी में है, तथा क्या विधुत संबंध आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा नम्बर 690 का राजस्व रिकार्ड आवेदक अथवा अनावेदक नम्बर 1 के नाम से दर्ज नही है, ना ही आवेदक ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है कि खसरा नम्बर 690 पूर्व में खसरा नम्बर 689 का भाग रहा हो। विधुत संबंध भी आवेदक के नाम से नही है। किसी भी मामले को साबित करने का भार स्वयं आवेदक अथवा कथन करने वाले पर होता है। प्रकरण को साबित करने का भार आवेदक पर है, परन्तु आवेदक ने ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जो खसरा नम्बर 690 व उसमें स्थित विधुत संबंध में उसके हित होने को प्रमाणित करे। आवेदक के वाद में कार्यवाही अभी विचाराधीन है, जिसमें घोषणा के संबंध में साक्ष्य अभिलिखित होना शेष है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मात्र आवेदक की दस्तावेजी साक्ष्य व कब्जा होने के तथ्य को देखना है, परन्तु आवेदक ने प्रार्थना पत्र के स्तर पर ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही है, जिससे आवेदक का कोई हक अधिकार प्रमाणित होता हो। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष में नही होना पाया गया है। विधुत संबंध रखना अथवा नही रखना खाता धारक पर निर्भर करता है तथा विधुत संबंध विच्छेद करना अथवा नही करना विधुत विभाग के क्षैत्राधिकार में हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन भी आवेदक के विरूद्ध बनना पाया जाता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही है। अतः आवेदक को अपूरणीय क्षति घटित होनो प्रमाणित नही होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव तथा रिकार्डेड खातेदार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:25:29 IST
Reason: SelfAttested